द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000*

सा.का. नि. 487 (अ) - केन्द्रीय सरकार, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम ''द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000'' है।
2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
3. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ

इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **''मुख्य विस्फोटक नियंत्रक''** का वही अर्थ होगा जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) में है;

(ख) **''उपभोक्ता''** से ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी या संगठन अभिप्रेत है, जिसे किसी वितरक या सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा प्रपुंज में अथवा सिलेण्डर में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का कनेक्शन या प्रदाय मंजूर किया गया है;

(ग) **''सिलैण्डर''** से कोई ऐसा धातु आधान अभिप्रेत है, जिसका उपयोग द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए किया जाता है और जो अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप है;

(घ) **''परिदान करने वाला व्यक्ति''** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उपभोक्ता को द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस सिलैण्डर में परिदान करने के लिए किसी सरकारी तेल कंपनी के किसी वितरक या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा लगाया गया हो;

(ङ) **''वितरक''** से कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का संगम, कंपनी, संस्था, संगठन या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो सरकारी तेल कंपनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा नियुक्त है और जो, यथास्थिति किसी सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता के साथ किसी करार के आधार पर उपभोक्ताओं को सिलैण्डरों में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए भंडारण करने के कारबार में लगा हुआ है;

---

* भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (1) में दिनांक 24.5.2000 को पृष्ठ 1 पर प्रकाशित।

ाय और वितरण

, 2000★

वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का
लेखित आदेश करती है, अर्थात् :

(प्रदाय और वितरण विनियमन)

ो, -

भारतीय विस्फोटक अधिनियम,

कम्पनी, संस्था, व्यक्तियों का
किसी वितरक या सरकारी तेल
सिलेण्डर में द्रवीकृत पैट्रोलियम

का उपयोग द्रवीकृत पैट्रोलियम
और अनुसूची 3 में अधिकथित

है जिसे उपभोक्ता को द्रवीकृत
सरकारी तेल कंपनी के किसी

, कंपनी, संस्था, संगठन या
समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा
या समानान्तर विपणनकर्ता
रों में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस
लगा हुआ है;

.2000 को पृष्ठ 1 पर प्रकाशित।

(च) **''गैस सिलैण्डर वाल्व''** से ऐसा वाल्व अभिप्रेत है जो सिलैण्डर में फिट किया हुआ है;

(छ) **''सरकारी तेल कम्पनी''** से निम्नलिखित अभिप्रेत है :

1. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड;
2. बोंगागैगाँव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड;
3. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड;
4. गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड;
5. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड;
6. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड;
7. इंडो बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड;
8. चैन्नई पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड;
9. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड;
10. आयल इण्डिया लिमिटेड;
11. आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड; या
12. कोई अन्य सरकारी कंपनी या कोई कानूनी निकाय या कोई कंपनी, या कोई फर्म जिसे अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आदेश के प्रयोजन के लिए ''सरकारी तेल कम्पनी'' घोषित किया गया हो;

★(छछ) **''गृहस्थी''** से, सम्मिलित रसोई रखने वाले किसी निवास एकक में साथ-साथ रहने वाले पति, पत्नी, अविवाहित बालक और आश्रित माता-पिता से मिलकर बनने वाला एक कुटुम्ब अभिप्रेत है :

परंतु कोई द्रविकृत पेट्रोलियम गैस संयोजन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी सरकारी तेल कम्पनी द्वारा गृहस्थी के केवल किसी वयस्क सदस्य के नाम में जारी किया जाएगा;

(ज) **''भारतीय मानक''** का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 2 के खंड (छ) में है;

(झ) **''द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस''** से हल्के हाइड्रोकार्बनों का ऐसा मिश्रण अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रोपेन, आइसो ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन, ब्यूटिलीन आदि हो सकते हैं, जो सामान्य परिवेष ताप और वायुमंडलीय दाब पर गैसीय हैं, किन्तु सामान्य परिवेष ताप पर दाब डालने से द्रव अवस्था में संघनित हो सकते हैं और जो भारतीय मानक विनिर्दिश सं. आई.एस. 4576 के अनुरूप हैं।

(ञ) **''समानान्तर विपणनकर्ता''** से कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी या संगठन अभिप्रेत है, जो समानान्तर विपणन प्रणाली के

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 10 सितंबर 2009 द्वारा अंतःस्थापित अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.10.2009 को पृष्ठ 1 से 4 तक प्रकाशित।

अधीन द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का आयात, भंडारण, परिष्करण, उत्पादन, भरण, विपणन, वितरण और/या विक्रय करने में से किसी अथवा सभी का कारबार कर रहा है;

(ट) **''समानान्तर विपणन प्रणाली''** से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत समानान्तर विपणनकर्ता अपनी स्वयं की व्यवस्था के अधीन द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का प्रपुंज में अथवा खुदरा में पैक किए हुए अथवा भरे हुए सिलैण्डर में आयात, भंडारण, भरण, वितरण, विक्रय करने में से किसी अथवा सभी के कारबार करता है;

(ठ) **''सार्वजनिक वितरण प्रणाली''** से केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा नियंत्रित या घोषित कीमत पर किसी सरकारी तेल कम्पनी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के वितरण, विपणन या विक्रय की प्रणाली अभिप्रेत है;

(ड) **''दाब रेगुलेटर''** से वह उपस्कर अभिप्रेत है जो सिलैण्डर से गैस स्टोव में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के प्रवाह और दाब को नियमित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है;

★(डड) **''पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस प्रदाय करने वाली कम्पनी''** से उपभोक्ताओं को, चाहे वह घरेलू या वाणिज्यिक या औद्योगिक स्थापन हों, प्रदाय करने के लिए, गैस के विपणन या वितरण या दोनों के लिए विद्यमान या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई कंपनी या किसी फर्म की कोई निकाय, अभिप्रेत है।

(डडड) **''घरेलू जालवत् प्रणाली''** से केवल घरेलू प्रयोजन के लिए समान ऊँचाई के विभिन्न गृहों को या बहुमंजिलें भवन या गृहों के समूह को पाइप लाइनों के नेटवर्क के माध्यम से सिलेंडरों के बैंक या केन्द्रीयकृत प्रकाय द्रविकृत पेट्रोलियम गैस भंडारकरण टैंक से द्रविकृत पेट्रोलियम गैस के वितरण की प्रणाली, अभिप्रेत है।

(ढ) **''अनुसूची''** से इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ण) **''सील''** से सिलैण्डर को उसमें द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस भर दिए जाने के पश्चात् सील करने के प्रयोजन के लिए वाल्व के ढक्कन के ऊपर लगाई गई सील अभिप्रेत है;

(त) **''भंडारण स्थल''** से वह परिसर अभिप्रेत है जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुज्ञप्त किया गया हो;

(थ) **''परिवाहक''** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस को प्रपुंज में या सिलैण्डर में और खाली या त्रुटिपूर्ण सिलैण्डरों के परिवहन के लिए भी सरकारी तेल कम्पनी, समानान्तर विपणनकर्ता या किसी वितरक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

★★(द) **''विशिष्ट पहचान संख्या (आधार)''** से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 10 सितंबर 2009 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.10.2009 को पृष्ठ 1 से 4 तक प्रकाशित।

★★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 28 सितंबर 2011 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.09.2011 को पृष्ठ 1 से 2 तक प्रकाशित।

ष्करण, उत्पादन, भरण, का कारबार कर रहा है;

ली से भिन्न ऐसी प्रणाली त्रयं की व्यवस्था के अधीन किए हुए अथवा भरे हुए से किसी अथवा सभी के

सरकार द्वारा अनुमोदित घोषित कीमत पर किसी ण, विपणन या विक्रय की

से गैस स्टोव में द्रवीकृत रयोग में लाया जाता है;

से उपभोक्ताओं को, चाहे ने के लिए, गैस के विपणन तिक गैस विनियामक बोर्ड प्रेत है।

समान ऊँचाई के विभिन्न ों के नेटवर्क के माध्यम से गैस भंडारकरण टैंक से

दिए जाने के पश्चात् सील सील अभिप्रेत है;

टक नियंत्रक द्वारा अनुज्ञप्त

लेयम गैस को प्रपुंज में या के लिए भी सरकारी तेल कृत किया गया हो;

ट पहचान प्राधिकरण द्वारा

। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक

। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक

★(ध) **''जीव सांख्यिकी का अधिप्रमाणन''** से सरकारी तेल विपणन कंपनी या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या दोनों द्वारा युक्ति में लाई गई या अभिनियोजित पद्धतियों के माध्यम से व्यक्ति की जीव सांख्यिकी के विरुद्ध विशिष्ट पहचान संख्या का सत्यापन किया जाना अभिप्रेत है;

★(न) **''प्राधिकृत प्रतिनिधि''** से सरकारी तेल कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों के अनुसार द्रवित पेट्रोलियम गैस प्राप्त करने के लिए कनेक्शन धारक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

★(प) **''अधिसूचित क्षेत्र''** से इस विषय में समय-समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यथा- अधिसूचित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार नामांकन के अधीन आने वाला कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

3. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के अप्राधिकृत कब्जे, प्रदाय और उपभोग पर निर्बन्धन

1. कोई ★★व्यक्ति या कोई गृहस्थी★★★, जिसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के लिए कनेक्शन है, :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिए गए द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का एक से अधिक कनेक्शन नहीं रखेगा;

परन्तु केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी तेल कम्पनी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, किसी व्यक्ति को ऐसे ★★व्यक्ति या कोई गृहस्थी★★★ द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के प्रदाय को अभिप्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों और कष्टों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का एक से अधिक कनेक्शन मंजूर कर सकेगा;

(ख) सिलेण्डरों से भरी हुई या प्रपुंज में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस तब तक नहीं रखेगा या उसका उपयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने वह प्रदाय किसी सरकारी तेल कम्पनी या ऐसी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी वितरक से प्राप्त न किया हो;

(ग) ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए उपभोक्ता सरकारी तेल कम्पनी के वितरक के पास रजिस्ट्रीकृत है, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं करेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग अनुज्ञात कर सकेगी जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करें।

(घ) सिलेंडर में भरी द्रवित पेट्रोलियम गैस तब तक अपने अधिकार में नहीं रखेगा जब

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 28 सितंबर 2011 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.09.2011 को पृष्ठ 1 से 2 तक प्रकाशित।

★★ अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 द्वारा शब्द 'गृहस्थी' के स्थान पर 'व्यक्ति या कोई गृहस्थी' शब्द प्रतिस्थापित।

★★★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 10 सितंबर 2009 द्वारा शब्द 'व्यक्ति' के स्थान पर शब्द 'गृहस्थी' प्रतिस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.10.2009 को पृष्ठ 1 से 4 तक प्रकाशित।

तक वह व्यक्ति, जिसके नाम पर गैस का कनेक्शन जारी किया गया है, गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य के लिए आधार नंबर को ऐसे क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं प्राप्त कर लेता है।

★(1 क) यदि कोई व्यक्ति या गृहस्थी★★ किसी कंपनी, सार्वजनिक या प्राइवेट, से पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन अभिप्राप्त करने के साठ दिन के परे किसी सरकारी तेल कंपनी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लिए गए घरेलू द्रविकृत पेट्रोलियम गैस संयोजन का रखा जाना जारी रखता है तो सरकारी तेल कंपनी को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस के ऐसे उपभोक्ता को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन अभिप्राप्त करने की तारीख से साठ दिन के पश्चात, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा घरेलू द्रविकृत पेट्रोलियम गैस उपभोक्ता को लिखित में सूचना देते हुए द्रविकृत पेट्रोलियम गैस संयोजन को रद्द करने की शक्ति होगी।

★2. घरेलू प्रवर्ग उपभोक्ताओं को द्रविकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय 14.2 किग्रा. और 5 किग्रा. क्षमता वाले सिलेंडर में किया जाएगा और अघरेलू प्रवर्ग में आने वालों को 19 किग्रा., 35 किग्रा. और 47.5 किग्रा. क्षमता वाले सिलेंडर में किया जाएगा या ऐसी क्षमता में, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किया जाएगा।

★★3. ''सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक, सिलेंडर में भरी द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रदाय किसी व्यक्ति या गृहस्थी को तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसे गृहस्थी का व्यक्ति, जिसके नाम पर घरेलू कनेक्शन जारी किया गया है''।

(क) रजिस्ट्रीकृत न हुआ हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन द्रवित पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन उसे मंजूर न किया गया हो, या

(ख) सरकारी तेल विपणन कंपनी से विधिमान्य प्राधिकार धारण नहीं करता हो; और

(ग) अपनी गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य के लिए, ऐसे क्षेत्र की अधिसूचना, बशर्ते कि गृहस्थी अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित हो, की तारीख से तीन मास के भीतर, उस वितरक को, जिससे वह घरेलू द्रवित पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुका है या कर चुकी है, आधार नंबर प्रस्तुत नहीं कर देता है या कर देती है और तत्पश्चात् रिफिल गैस सिलेंडर का परिदान, ऐसे रिफिल सिलेंडर प्राप्त कर रहे गृहस्थी के प्रधान या गृहस्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के जीव सांख्यिकी के ब्यौरों के अधिप्रमाणन के पश्चात् ही किया जाएगा।''

4. यथास्थिति, सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता ''या पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस प्रदाय करने वाली कम्पनी''★★★ का कोई वितरक इसमें प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप, जिसमें अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं, न तो करेगा और न ही कराएगा।

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 10 सितंबर 2009 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.10.2009 को पृष्ठ 1 से 4 तक प्रकाशित।

★★ अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 द्वारा शब्द 'गृहस्थी' के स्थान पर 'व्यक्ति या कोई गृहस्थी' शब्द प्रतिस्थापित।

★★★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2002 द्वारा अंतःस्थापित तथा भारत के राजपत्र में दिनांक 8 मार्च 2002 को पृष्ठ 1/2 पर प्रकाशित।

जारी किया गया है, गृहस्थी के
अधिसूचना की तारीख से तीन

नेक या प्राइवेट, से पाइप द्वारा
किसी सरकारी तेल कंपनी से
त पेट्रोलियम गैस संयोजन का
प द्वारा प्राकृतिक गैस के ऐसे
करने की तारीख से साठ दिन
न गैस उपभोक्ता को लिखित
करने की शक्ति होगी।

ाय 14.2 किग्रा. और 5 किग्रा.
आने वालों को 19 किग्रा., 35
एगा या ऐसी क्षमता में, जो
केया जाएगा।

त पेट्रोलियम गैस का प्रदाय
क ऐसे गृहस्थी का व्यक्ति,

प्रणाली के अधीन द्रवित
ो, या

ण नहीं करता हो; और

की अधिसूचना, बशर्ते कि
से तीन मास के भीतर, उस
नेक्शन प्राप्त कर चुका है या
कर देती है और तत्पश्चात्
र प्राप्त कर रहे गृहस्थी के
सांख्यिकी के ब्यौरों के

या पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस
षिद्ध क्रियाकलाप, जिसमें
रेगा और न ही कराएगा।

। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक

यक्ति या कोई गृहस्थी' शब्द

भारत के राजपत्र में दिनांक 8

4. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के भण्डारकरण और परिवहन पर निर्बन्धन

1. कोई व्यक्ति :

(क) तब तक किसी सिलेण्डर में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस नहीं भरेगा या एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में या एक आधान से दूसरे आधान में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का अन्तरण नहीं करेगा जब तक उसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।

(ख) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से भरे सिलैण्डरों का, सीधी खड़ी स्थिति के सिवाय, परिवहन या भंडार नहीं करेगा;

(ग) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से भरे सिलेण्डर का शीतल, शुष्क सुसंवातित और छतवाले सुगम स्थान पर ही, जो वायलर, खुली ज्वाला, वाष्प नली या उष्मा के किसी संभावित स्त्रोत से परे हो, भंडारण करेगा या उपयोग करेगा या भंडारण कराएगा या उपयोग कराएगा;

(घ) सिलेण्डरों का उपयोग करने से पहले सील नहीं हटाएगा :

परन्तु वितरक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या परिदान करने वाला व्यक्ति परीक्षण जाँच-पड़ताल या सिलैण्डर को फिट करने के लिए उपभोक्ता की उपस्थिति में ऐसी सील हटा सकेगा।

(ङ) अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट से भिन्न सिलेण्डर, दाब रेगुलेटर और गैस सिलेण्डर वाल्व का उपयोग नहीं करेगा।

2. कोई परिवाहक या परिदान करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता या वितरक से भिन्न किसी व्यक्ति को सिलैण्डरों या प्रपुंज में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का परिदान नहीं करेगा या करवाएगा।

5. मानक भार से कम या उससे अधिक द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के विक्रय या वितरण पर निर्बन्धन

कोई सरकारी तेल कम्पनी, वितरक या समानान्तर विपणनकर्ता किसी उपभोक्ता को द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का प्रदाय, विक्रय या वितरण ऐसे सिलेण्डरों में नहीं करेगा, जिनमें अनुसूची ''2'' और ''3'' में विनिर्दिष्ट या सिलैण्डर पर यथा उपदर्शित भार से कम या उससे अधिक द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस हो।

6. एल पी जी के विक्रय का अप्राधिकृत कारबार करने पर प्रतिबंध

सरकारी तेल कम्पनी, समानान्तर विपणनकर्ता या वितरक से अन्य कोई व्यक्ति, किसी उपभोक्ता को द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का विक्रय करने का कारबार नहीं करेगा।

7. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस उपस्करों का कब्जा, प्रदाय या विक्रय

1. कोई व्यक्ति :

(क) किसी सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को भरे हुए या खाली सिलेण्डर, सिलेण्डर वाल्व और दाब रेगुलेटर का प्रदाय या विक्रय नहीं करेगा;

(ख) जब तक कि सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो, तब तक उपभोक्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को भरे हुए या खाली सिलेण्डर, गैस सिलेण्डर वाल्व और दाब रेगुलेटर का प्रदाय या विक्रय नहीं करेगा;

(ग) भरा हुआ या खाली सिलेण्डर, गैस सिलेण्डर वाल्व या दाब रेगुलेटर नहीं रखेगा जब तक कि वह वितरक या उपभोक्ता न हो;

2. सिलेण्डर, गैस सिलेण्डर वाल्व और दाब रेगुलेटर का प्रत्येक विनिर्माता उन सिलेण्डरों, सिलेण्डर वाल्वों और दाब रेगुलेटरों को, जो भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं, संदलन द्वारा नष्ट कर देगा।

8. द्रवीकृत पेट्रोलियन गैस के स्टाक और कीमत को प्रदर्शित करना

प्रत्येक वितरक कारबार परिसर के, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थल भी है, सहजदृश्य स्थान पर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के स्टाक और कीमत को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शित होगा :

(i) भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों और रेगुलेटरों का आरम्भिक अतिशेष;

(ii) पूर्ववर्ती कार्य दिवस को प्रदाय किए जाने वाले भरे हुए सिलेण्डरों का बकाया।

9. वितरक द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपापन, भंडारण और विक्रय

(क) कोई वितरक, जिसके पास कारबार परिसर पर, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थल भी है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का स्टाक है, जब तक कि किसी सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, किसी कार्य दिवस की, कार्य समय के दौरान ऐसे उपभोक्ता को, जिसका नाम वितरक के पास रजिस्ट्रीकृत है, एल पी जी विक्रय करने से इंकार नहीं करेगा।

(ख) कोई वितरक अपना कारबार परिसर, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थान भी है, सरकारी तेल कंपनी या समानान्तर विपणनकर्ता की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान बंद नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण : उपखंड (क) और उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ''कार्य-समय'' पद

से, यथास्थिति, विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त दुकान और स्थापना अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संबद्ध सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा नियत "कार्य-समय" अभिप्रेत है।

(ग) प्रत्येक वितरक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा कि कारबार परिसर में, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थान भी है, सब समय द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का स्टाक उपलब्ध रहे।

(घ) कोई भी वितरक सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा नियत कीमत से अधिक कीमत पर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का विक्रय नहीं करेगा।

(ङ) कोई भी वितरक, संबद्ध सरकारी तेल कम्पनी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे उपभोक्ता के घर के पते पर, जो वितरक के पास रजिस्ट्रीकृत है, परिदान करने से इंकार नहीं करेगा :

परन्तु राज्य सरकार उपभोक्ता को एल पी जी सिलेण्डरों का घर पर परिदान करने के लिए, ऐसे अतिरिक्त प्रभार नियत कर सकेगी, जो वह वितरण क्षेत्र में भौगोलिक भू-भाग और या दूरी को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक समझे।

(च) प्रत्येक वितरक कारबार के स्थान पर, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थान भी है, सहजदृश्य स्थान पर कार्य-समय प्रदर्शित करेगा।

10. वितरक द्वारा रजिस्टर लेखा बही रखना

(क) प्रत्येक वितरक कारबार परिसर में प्रत्येक दिन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के दैनिक क्रय, विक्रय और भंडारण का उचित लेखा रखेगा, जिसमें :

- (i) भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों का आरम्भिक स्टाक;
- (ii) दिन के दौरान प्राप्त भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों की संख्या;
- (iii) दिन के दौरान विक्रय किए गए, परिदत्त किए गए या अन्यथा व्ययनित भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों की संख्या;
- (iv) भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों का अन्तिम स्टाक;
- (v) ऐसी अन्य सुसंगत विशिष्टियाँ, जो इस पार्ट में संबद्ध सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उपदर्शित होगी।

(ख) वितरक, द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए उसके पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नाम और पतों के ब्यौरे देते हुए एक रजिस्टर रखेगा।

11. समानान्तर विपणनकर्ता का निर्धारण और प्रमाणीकरण रैटिंग

1. (क) कोई भी समानान्तर विपणनकर्ता उसके मूल्यांकन और रैटिंग के आधार पर

अनुसूची 4 में दिए हुए अभिकरण से, अपनी क्षमता, अवसंरचनात्मक नैटवर्क और वृतिक कारबार चलाने की तत्परता तथा माल के प्रदाय और परिवहन के लिए पर्याप्त सुरक्षा बैकअप, परिवहन के दौरान दुर्घटना राहत के लिए उपबन्ध द्वारा वचनबद्ध माल और सेवाओं का परिदान और उपभोक्ताओं की आपात शिकायतों को दूर करने के लिए रैटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना, द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के कारबार से संबंधित कोई क्रियाकलाप जैसे आयात, भंडारण, परिवहन, भरण, विपणन, वितरण, विक्रय या इसके समनुषंगी कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा;

(ख) रैटिंग प्रमाणपत्र अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट रूपविधान में और अनुसूची 6 में दिए गए अग्रेषण पत्र के अनुसार जारी किया जाएगा।

(ग) रैटिंग प्रमाणपत्र :

(i) जारी किए जाने की तारीख से 'अच्छी' और समाधानप्रद रैटिंग की दशा में दो वर्ष की अवधि के लिए और अन्य रैटिंग की दशा में एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा, और

(ii) रैटिंग अभिकरण द्वारा नवीकरण के लिए अपेक्षित होगा।

2. प्रत्येक समानान्तर विपणनकर्ता जो किसी समाचारपत्र, लघुपत्रिका, पम्फलेट, पर्चियों द्वारा संचार के अन्य साधनों या विज्ञापन द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के आयात, परिवहन, विपणन, भरण, वितरण या विक्रय के क्षेत्र में अपने क्रियाकलाप के ब्यौरों की उद्घोषणा करता है या किसी प्रकार की प्रस्थापनाएं आमंत्रित करता है, उसे दिए गए रैटिंग को वह शब्दों में अर्थात् अच्छी, समाधानप्रद, कम जोखिम, अधिक जोखिम, जो भी लागू हो, उपदर्शित करेगा और रैटिंग अभिकरण द्वारा दिए गए रैटिंग प्रमाणपत्र को सहज रूप से प्रकाशित करेगा।

3. किसी रैटिंग अभिकरण को, प्रत्येक आवेदन के संबंध में निम्नलिखित संदाय किया जाएगा :

(i) समानान्तर विपणनकर्ता को दिए गए रैटिंग प्रमाणपत्र के लिए, पचास हजार रुपए की निम्नतम और दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना लागत के 0.05 प्रतिशत की दर पर फीस, और

(ii) समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा रैटिंग प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए ऐसे प्रमाणपत्र के संबंध में संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित फीस का दसवाँ भाग।

(iii) समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा रैटिंग प्रमाणपत्र का नवीकरण निम्नलिखित आवर्तितता के अनुसार होगा, अर्थात् :

(क) ऐसे व्यक्ति जिनके पास पूर्ववर्ती वर्ष में अच्छा और समाधानप्रद रैटिंग प्रमाणपत्र था, दो वर्ष में एक बार ;

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके पास पूर्ववर्ती वर्ष में अच्छा और समाधानप्रद से भिन्न रैटिंग प्रमाणपत्र था, वर्ष में एक बार।

मता, अवसंरचनात्मक नैटवर्क और
। के प्रदाय और परिवहन के लिए
टिना राहत के लिए उपबन्ध द्वारा
पभोक्ताओं की आपात शिकायतों
: बिना, द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के
ायात, भंडारण, परिवहन, भरण,
ई क्रियाकलाप नहीं करेगा;
विधान में और अनुसूची 6 में दिए

ाधानप्रद रैटिंग की दशा में दो वर्ष
क वर्ष के लिए विधिमान्य होगा,

होगा।

लघुपत्रिका, पम्फलेट, पर्चियों
त पैट्रोलियम गैस के आयात,
अपने क्रियाकलाप के ब्यौरों की
ात करता है, उसे दिए गए रैटिंग
।, अधिक जोखिम, जो भी लागू
टिंग प्रमाणपत्र को सहज रूप से

नलिखित संदाय किया जाएगा :
त्र के लिए, पचास हजार रुपए
म सीमा के अधीन रहते हुए
और
ीकरण के लिए ऐसे प्रमाणपत्र
ा दसवाँ भाग।
का नवीकरण निम्नलिखित

च्छा और समाधानप्रद रैटिंग

। और समाधानप्रद से भिन्न

4. मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए अनुसूची 4 में दिए हुए अभिकरण, समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा फीस का संदाय किए जाने पर, ऐसे समानान्तर विपणनकर्ता को, जिसका मामला उसे निर्दिष्ट किया गया है या जिसने उससे संपर्क किया है, अनुसूची 7 में दिए गए रूप विधान में, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा उपदर्शित मापदंडों और दी जाने वाली जानकारी या ऐसी जानकारी के आधार पर जिनकी रैटिंग अभिकरण द्वारा अपेक्षा की जाए, मूल्यांकन करेगा।

5. प्रत्येक समानान्तर विपणनकर्ता, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल समन्वय समिति, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के साथ और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय और ऐसे जिले के, जहाँ वह द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का आयात, परिवहन, भरण, विपणन, वितरण या विक्रय करता है, कलेक्टर के पास रैटिंग प्रमाणपत्र की प्रमाणित सही प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

6. समानान्तर विपणनकर्ता के सभी पत्र शीर्षों या पत्र व्यवहार में रैटिंग का निम्नलिखित विवरण होगा :

(i) रैटिंग अभिकरण का नाम

(ii) उसे दी गई रैटिंग, और

(iii) जारी करने की तारीख।

7. कोई भी समानान्तर विपणनकर्ता, समाचारपत्र, लघु पत्रिका, पम्फलेट, पर्ची, विज्ञापन आदि में अपूर्ण, गलत, भ्रामक या अस्पष्ट जानकारी नहीं देगा या ऐसी जानकारी रैटिंग अभिकरण में प्रस्तुत नहीं करेगा :

परन्तु ऐसे समानान्तर विपणनकर्ता को, जो किसी ऐसे अन्य समानान्तर विपणनकर्ता के, जिसने रैटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, अभिकर्ता के रूप में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के परिवहन, विपणन, वितरण या विक्रय का कारबार कर रहा है, रैटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, कोई समानान्तर विपणनकर्ता किसी अन्य समानान्तर विपणनकर्ता का अभिकर्ता तब समझा जाएगा, यदि पहला उक्त प्रयोजनों के लिए दूसरे द्वारा विधिक लिखत के माध्यम से नियुक्त अभिकर्ता है।

(क) प्रत्येक समानान्तर विपणनकर्ता, द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के आयात, परिवहन, भरण, विपणन, वितरण या विक्रय आरम्भ करने से पहले उपरोक्त क्रियाकलापों में से सभी या किसी एक को करने का अपना आशय, उसमें ऐसा करने की अपनी क्षमता विनिर्दिष्ट करते हुए और अन्य सुसंगत विशिष्टियाँ पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित करेगा।

(ख) समानान्तर विपणनकर्ता, आयातित द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस को पतन पर भंडारण अवसंरचना में निस्सारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि क्वालिटी जाँच

कर ली गई है और द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस बी.आई.एस. विनिर्देश सं. आई.एस. 4576 को सभी प्रकार से पूरा करता है।

(ग) समानान्तर विपणनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस, किसी उपभोक्ता को विक्रय किए जाने से पूर्व बी.आई.एस. विनिर्देश सं. आई.एस. 4576 को पूरा करती है।

(घ) द्रवित पैट्रोलियम गैस का समानान्तर विपणनकर्ता पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पतनवार उत्पादित और/या आयातित द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के ब्यौरे देते हुए आगामी माह की 15 तारीख के पहले एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(ङ) समानान्तर विपणनकर्ता पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को या ऐसे प्राधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी सूचना, जो अपेक्षा की जाए, देगा।

13. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

1. केन्द्रीय या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी जो निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो और जिसे यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकारी तेल कम्पनी का कोई अधिकारी जो विक्रय अधिकारी से नीचे रैंक का न हो, इस आदेश या इसके अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से :

(क) किसी ऐसे जलयान या यान को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जो किसी पैट्रोलियम उत्पाद के परिवहन या भंडारण के लिए उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने में सक्षम है;

(ख) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(ग) द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के ऐसे स्टाक का, आधान और/या उपस्कर जैसे सिलेण्डर, गैस सिलेण्डर वाल्व, दाब रेगुलेटर और सील सहित अभिग्रहण कर सकेगा, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है।

2. सरकारी तेल कम्पनी के विक्रय अधिकारी को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त वितरकों और/या उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता द्वारा इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

14. आदेश का अध्यारोही प्रभाव

इस आदेश के उपबन्धों का, किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए किसी आदेश में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।

आई.एस. विनिर्देश सं. आई.एस.

क द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस, किसी
एस. विनिर्देश सं. आई.एस. 4576

र्गी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
। द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के ब्यौरे
मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
तेक गैस मंत्रालय को या ऐसे
ष्ट किया जाए, ऐसी सूचना, जो

ो निरीक्षक की रैंक से नीचे का न
सरकार द्वारा साधारण अथवा
गा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा
क्रय अधिकारी से नीचे रैंक का न
। अनुपालन सुनिश्चित करने की

उसकी तलाशी ले सकेगा जो
लिए उपयोग किया गया है या

ी ले सकेगा।
धान और/या उपस्कर जैसे
र सील सहित अभिग्रहण कर
रने के कारण है कि इस आदेश
। जाने वाला है।
क वितरण प्रणाली के अधीन
भोक्ता द्वारा इस आदेश का
।

राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए
ो प्रभाव होगा।

15. छूट देने की शक्ति

यदि केन्द्रीय सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के लिए या लोक हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे, तो वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा; इस आदेश के सभी या किसी उपबन्ध से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए छूट दे सकेगी।

16. निरसन और व्यावृत्ति

(1) द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1993 निरसित किया जाता है :

परन्तु ऐसा आदेश निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :

(क) उक्त आदेश का पूर्वतर प्रवर्तन या उसमें सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात, या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भुत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या

(ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) ऐसे किसी पूर्वोक्त अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बावत किसी जाँच, विधिक कार्यवाहियों या उपचार और ऐसी कोई जाँच, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, जारी या प्रवृत्त किए जा सकेंगे और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त आदेश निरसित नहीं किया गया हो।

अनुसूची - 1
(खंड 3 (4) देखिए)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
(सरकारी तेल कंपनियों के द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वितरकों के लिए)★

1. उपभोक्ता को स्टोव/हाटप्लेट का बलात विक्रय।
2. रजिस्ट्रीकरण/नया कनेक्शन देते समय आवेदक से अप्राधिकृत प्रभारों की वसूली।
3. एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को अंशत: प्रयुक्त सिलेण्डरों/सिलेण्डरों से चुराये गये उत्पाद/चुराये गए उत्पाद के साथ सिलेण्डरों का प्रदाय।
4. अप्राधिकृत और/या बिना पारी के नये एल.पी.जी. कनेक्शन देना।
5. एल.पी.जी. अघरेलू उपयोग के लिए घरेलू सिलेण्डरों का अप्राधिकृत अपयोजन।
6. जाली दस्तावेजों का, जिनमें पर्यवसन वाउचर और अंतरण पर्यवसन वाउचर सम्मिलित है, स्वीकार किया जाना।

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2013 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18.12.2013 को प्रकाशित।

7. अप्रमाणिक एल.पी.जी. उपस्करों को कब्जे में रखना।

8. अप्रमाणिक एल.पी.जी. उपस्कर का अधिष्ठापन और या अप्रमाणिक उपस्कर द्वारा प्रतिस्थापन।

9. आज्ञापक अभिलेखों का छलसाधन।

10. उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. रीफिल प्रदाय का घरेलू-इतर परिदान और/या एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को घरेलूइतर परिदान पर रिबेट का न दिया जाना।

11. एल.पी.जी. रीफिल प्रदाय, प्रतिष्ठापन प्रभारों, यांत्रिक प्रभारों और/या सरकारी तेल कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रभार पर वितरक द्वारा अधिक प्रभार लिया जाना।

12. नये कनेक्शन और/या दोहरे सिलेण्डर के कनेक्शन के अनुरोध को रजिस्टर करने से इंकार करना।

★13. ऐसे उपभोक्ता को, जिसके पास पहले से ही पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करना।

★★14. कनेक्शन धारक से भिन्न किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों या प्राधिकृत व्यक्ति को द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का प्रदाय करना;

★★15. प्राप्त कर रहे व्यक्ति की जीव सांख्यिकी के अधिप्रमापन के बिना अधिसूचित क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का प्रदाय करना।

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप★
(पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस प्रदान करने वाले कंपनियों के लिए)

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के विद्यमान उपभोक्ता को, ऐसे घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्राप्त होने की तारीख से आठ दिन के भीतर अभ्यर्पण करने या सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के परिवचन प्राप्त किए बिना पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्रदान करना।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के विद्यमान उपभोक्ता को, ऐसे घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अभ्यर्पण करने या सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के परिवचन प्राप्त किए बिना पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का प्रदाय जारी रखना।''

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2013 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18.12.2013 को प्रकाशित।

★★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 26 सितंबर 2011 द्वारा प्रतिस्थापित तथा भारत के राजपत्र में दिनांक 26.09.2011 को पृष्ठ 1/2 पर प्रकाशित।

। अप्रमाणिक उपस्कर द्वारा

ारिदान और/या एल.पी.जी.
ा।

ारों और/या सरकारी तेल
ाक प्रभार लिया जाना।

ुरोध को रजिस्टर करने से

ाकृतिक गैस कनेक्शन है,
स कनेक्शन प्रदान करना।

ादस्यों या प्राधिकृत व्यक्ति

ा बिना अधिसूचित क्षेत्र के
य करना।

ों के लिए)

कंपनी के घरेलू द्रवीकृत
पेट्रोलियम गैस कनेक्शन
व से आठ दिन के भीतर
प्त किए बिना पाइप द्वारा

कंपनी के घरेलू द्रवीकृत
पेट्रोलियम गैस कनेक्शन
ा से साठ दिन के भीतर
त किए बिना पाइप द्वारा

अधिसूचना राजपत्र में दिनांक

। भारत के राजपत्र में दिनांक

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
(समानांतर विपणनकर्ता के लिए)

1. उपभोक्ताओं को स्टोव/हाटप्लेट का बलात विक्रय।
2. एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को अंशतः प्रयुक्त सिलेण्डरों/सिलेण्डरों से चुराये गए उत्पाद/चुराये गए उत्पाद के साथ सिलेण्डरों का प्रदाय।
3. अप्रमाणिक एल.पी.जी. उपस्कर को कब्जे में रखना।
4. अप्रमाणिक एल.पी.जी. उपस्कर का अधिष्ठापन और/या अप्रमाणिक उपस्कर द्वारा प्रतिस्थापन।
5. आज्ञापक अभिलेखों का छलसाधन।

अनुसूची-2★
(खंड 4 (1) (ङ) और खंड 5 देखिए)
सरकारी तेल कंपनी के वितरकों को लागू होना

द्रवित पैट्रोलियम गैस सिलेण्डर का मानक आकार और विनिर्देश आई एस 3196 (भाग 1), 1992 रंग कोड विनिर्देश आई एस 4379 निम्नलिखित के अनुरूप होगा :

सिलेण्डर का आंतरिक व्यास मि.मी. में	सिलेण्डर में द्रवित पैट्रोलियम गैस का शुद्ध भार
270 मि.मी. +1% - 0%	5 किग्रा. + 50 ग्राम
314 मि.मी. + 1% -0%	14.2 किग्रा. + 150 ग्राम -
330.1 मिमी. + 2% -0%	19 किग्रा. + 1.0% -
365.0 मिमी. + 1% -0%	35 किग्रा. + 1.0% -
368.3 मिमी. + 1% -0%	47.5 किग्रा. + 1.0% -

(+, - किसी भी ओर के अंतर को उपदर्शित करते हैं)

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 10 सितंबर 2009 द्वारा प्रतिस्थापित अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.10.2009 को पृष्ठ 1 से 4 तक प्रकाशित।

टिप्पणी :

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गैस सिलेण्डर वाल्व का मानक आकार और विनिर्देश आई एस 8737 विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिसकी बाह्य पट्टी का व्यास 25.6 मि.मी. होगा।
2. दाब रेगूलेटर आई एस 9798 विनिर्देश के अनुरूप होगा जिसका आंतरिक व्यास 25.6 मि.मी. होगा।

अनुसूची-3
(खंड 4 (1) (ङ) और खंड 5 देखिए)
समानांतर विपणन प्रणाली को लागू होना

समानांतर विपणन प्रणाली के अधीन कोई विपणनकर्ता निम्नलिखित के साथ व्यवहार करेगा और निम्नलिखित का उपयोग करेगा :

(क) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट सिलेण्डरों से भिन्न किसी आकार, बनावट, डिजाइन और भार का सिलेण्डर जो भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप हो।

(ख) आई एस विनिर्देश 8737 .....★ के अनुरूप किसी आकार का गैस सिलेण्डर वाल्व जिसकी बाह्य पट्टी का व्यास 22.0 मि.मी. हो।

(ग) आई एस विनिर्देश 9798 के अनुरूप किसी आकार का दाब रेगूलेटर जिसका आंतरिक व्यास 22.0 मि.मी. हो।

टिप्पणी :

1. समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रयुक्त सिलेण्डर में एक वाल्व सुरक्षा छल्ला लगा होगा जो आकार में सरकारी तेल कंपनी द्वारा प्रयुक्त सिलेण्डरों में लगे छल्ले से भिन्न होगा।
2. समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रयुक्त सिलेण्डर पर, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा यथा - अनुमोदित संबंधित कंपनी, फर्म या द्रवीकृत पेट्रोलियम का विपणन करने वाले व्यक्ति का कलर बेण्ड और लोगो स्पष्ट रूप से चिह्नित होगा।
3. शुद्ध मात्रा के संबंध में भार या मात्रा के आधार पर घोषित अधिकतम अनुज्ञात गलती निम्नानुसार होगी :

घोषित मात्रा	आधिक्य या कमी की अधिकतम अनुज्ञात गलती	
ग्रा. या मि.ली.	0%	ग्रा. या मि.ली.
1000-10000	1.5%	-
10000-15000	-	150
15000 से अधिक	1.0%	-

★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 1 नवम्बर 2007 द्वारा यथा संशोधित। अधिसूचना राजपत्र में भाग 2, खण्ड 3 (1) में दिनांक 1.11.2007 को प्रकाशित।

का मानक आकार और
ज्य पट्टी का व्यास 25.6

का आंतरिक व्यास 25.6

लिखित के साथ व्यवहार

बनावट, डिजाइन और भार

ास सिलेण्डर वाल्व जिसकी

रेगूलेटर जिसका आंतरिक

सुरक्षा छल्ला लगा होगा जो
छल्ले से भिन्न होगा।

स्फोटक नियंत्रक द्वारा यथा -
वेपणन करने वाले व्यक्ति का

त अधिकतम अनुज्ञात गलती

ो अधिकतम अनुज्ञात गलती
ग्रा. या मि.ली.
-
150
-

धित। अधिसूचना राजपत्र में भाग 2,

अनुसूची-4

(खंड 11 (1) (क) और खंड (4) देखिए)

समानांतर विपणनकर्ता के मूल्यांकन के लिए अभिकरणों के नाम और पते

	नाम	पता
1.	क्रिसिल (दि क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसिज आफ इंडिया लिमिटेड)	निरलॉन हाऊस, दूसरा तल, 254 बी, एनी वेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई - 400025
2.	केयर (क्रेडिट एनालिसिसि एंड रिसर्च लिमिटेड)	आर.बी.सी. महिंद्रा टावर्स, पांचवाँ तल, रोड सं. 13, वर्ली, मुंबई- 400018
3.	एम.डी.आर.ए. (मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स)	सेकुलर हाऊस, 9/1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जे.एन.यू. के सामने, नई दिल्ली-67
4.	आई सी आर ए (इन्वेस्टमेंट इंफोर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड)	कैलाश बिल्डिंग, चौथा तल, 26, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-1

अनुसूची-5

(खंड 11 (1) (ख) देखिए)

समानांतर विपणनकर्ता के लिए रेटिंग प्रमाणपत्र

जारी करने की तारीख ....

फर्म/कंपनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

संप्रवर्तक/अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का नाम :

क्रियाकलाप :

बैंककारों की विशिष्टियां :

संपूर्ण रेटिंग

रेटिंग मापमान :

अच्छा :

समाधानप्रद :

कम जोखिम :

अधिक जोखिम :

हस्ताक्षर और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा

अनुसूची-6
(खंड 11 (1) (ख) देखिए)
रेटिंग प्रमाणपत्र के लिए अग्रेषण पत्र

जिस किसी से यह संबंधित हो

प्रमाणित किया जाता है कि हमने मेसर्स .... का, उन्हें प्रमाणपत्र और रेटिंग जारी करने के प्रयोजन के लिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन), आदेश, 2000 के उपबंधों के अनुसार मूल्यांकन कर लिया है।

हमारे द्वारा यह प्रमाण पत्र, दस्तावेजों, अभिलेखों के संबंध में हमारी जाँच और हमें प्राप्त जानकारी के निर्धारण तथा समानांतर विपणनकर्ता द्वारा वृत्तिक कारबार करने, वचनबद्ध माल और सेवाएं परिदत्त करने की क्षमता, अवसंरचनात्मक नेटवर्क और तत्परता के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जारी किया गया। हमारा यह समाधान हो गया है कि हमारे द्वारा प्राप्त और एकत्रित की गई जानकारी और विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट रेटिंग प्रदान करने के संबंध में मैसर्स ** .... का मूल्यांकन करने के लिए हमें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है।

मैसर्स** .... को .... रेटिंग दी गई है।

मैसर्स ** .... के संबंध में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैं :

1. योजनाबद्ध कुल निवेश।
2. अब तक किया गया कुल निवेश।
3. संप्रवर्तक की साम्या।
4. आरम्भ करने की प्रस्तावित/संभावित तारीख

हस्ताक्षर और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा

** समानांतर विपणनकर्ता का नाम उपदर्शित किया जाएगा।

अनुसूची-7
(खंड 11 (4) देखिए)
रेटिंग अभिकरण द्वारा मूल्यांकन/रेटिंग के लिए समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी का प्रोफार्मा

मापदंड	ब्यौरे *
कंपनी की बाजार की साख :	
(क) फर्म का गठन	

ा पत्र

ा

.... का, उन्हें प्रमाणपत्र और
(प्रदाय और वितरण विनियमन),

ंध में हमारी जाँच और हमें प्राप्त
ह कारबार करने, वचनबद्ध माल
ं और तत्परता के मूल्यांकन के
ग है कि हमारे द्वारा प्राप्त और
ज्ञान करने के संबंध में मैसर्स **
लिए पर्याप्त है।

गई है।

मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैं :

क्षर और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा

नांतर विपणनकर्ता
प्रोफार्मा

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

(ग) विद्यमान कारबारों के अवस्थान और पते

(घ) संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों के नाम

(ङ) संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों की पृष्ठभूमि और पूरा पूर्ववृत्त

(च) संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों की मूल योग्यता

(छ) वर्तमान क्रियाकलाप

(ज) समानान्तर विपणनकर्ता और/या उसकी कंपनियों के समूह की विद्यमान संक्रियाओं का ब्यौरा।

(झ) संप्रवर्तक फर्म और सम्बद्ध समूह के संप्रर्वतों के गठन के ब्यौरे सहित तीन वर्ष का संपरीक्षित लेखा।

(ञ) प्रस्तावित स्कीम के सार सहित समानान्तर विपणन में संबंधित नए कारबार के लिए कामकाज पूंजी की अपेक्षा।

(ट) पहले से ली गई प्रारूपिक परियोजनाओं की लागत, समय, परियोजनाओं की प्रकृति और अन्तर्वलित प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन संबंधी अभिलेख।

(ठ) कारबार योजनाएं और परियोजनाबद्ध नकद प्रवाह।

(ड) विद्यमान और प्रस्तावित कारबारों के लिए निधियों के स्त्रोत जुटाना।

(ढ) समानान्तर विपणनकर्ता का उसकी अन्य समूह कंपनियों में आय कर समाशोधन प्रमाण पत्र सहित पिछले तीन वर्ष का कार्य।

2. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के लिए विपणन योजनाएं :

2.1 द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए स्त्रोत जुटाने/संभलाई के लिए अवसरंचना :

(क) पता लगाए गए आयात अवस्थान।

(ख) आयात पार्सलों के प्रस्तावित आकार।

(ग) अनुमोदनों की प्रास्थिति (पत्तन/कानूनी/राज्य सरकार/मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/पर्यावरण/चहुंमुखी नेटवर्क/स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त लक्ष्य)।

(घ) प्रगति की प्रास्थिति।

(ङ) प्रौद्योगिकीय गठबंधन, यदि कोई हो, के ब्यौरे।

(च) कारबार संबंधी प्रस्ताव/परियोजना साध्यता रिपोर्ट/वित्तीय ब्यौरे और वित्तीय जोखिम विश्लेषण।

2.2 द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए वाणिज्यिक व्यवस्थाएं और/या सहायता (यदि स्वयं की सुविधाएं योजनाबद्ध नहीं है) :

(क) आयातकर्ता के साथ अंतिम रूप से की गई व्यवस्था संबंधी कोई गठबंधन।

(ख) ऐसे गठबंधन के संबंध में समर्थनकारी करार/दस्तावेज।

(ग) न्यूनतम गारंटी के साथ आयात किए जाने वाले उत्पाद की मात्रा।

(घ) आयात अवस्थान पर उत्पाद के भंडारण और उसकी संभलाई/गठबंधन करार के ब्यौरे।

(ङ) गठबंधन व्यवस्था के कारगर सिद्ध न होने की दशा में कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना।

3. योजना बद्ध द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के लिए भंडारण और वितरण की व्यवस्था :

(क) डिपो भरण संयंत्र के संबंध में उनकी क्षमता सहित भंडारण सुविधाओं के ब्यौरे।

(ख) ऊपर उल्लिखित मदों संबंधी प्रगति की प्रास्थिति।

(ग) संयंत्र और उपस्कर/प्रौद्योगिकीय ब्यौरे।

(घ) जनशक्ति और उत्पाद की संभलाई के लिए व्यवस्था के ब्यौरे।

(ङ) इन सुविधाओं की संरचना और संक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले डिजाइनों और मानकों के ब्यौरे।

(च) सुविधाओं के अनुमोदन की प्रास्थिति।

(छ) सिलेण्डरों/रेगुलेटरों/के उपापन के लिए की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे।

(ज) क्या भरण संयंत्र, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय 144/169 के सुरक्षा मानकों के अनुसार है।

4. उत्पाद को खपत केन्द्रों/बाजारों तक पहुँचाने के लिए योजनाबद्ध व्यवस्थाएं :

(क) योजनाबद्ध/पहले से नियुक्त नेटवर्क वितरकों के ब्यौरे।

(ख) वितरकों की नियुक्ति के लिए आधार के ब्यौरे।

(ग) योजनाबद्ध/विद्यमान शोरूम/विक्रय कक्ष/कार्यालय और गोदाम के, अनुमोदन की प्रास्थिति सहित ब्यौरे।

(घ) वितरकों के गोदामों और उपभोक्ताओं के बीच वितरण व्यवस्था के ब्यौरे।

5. उत्पाद के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण तथा सुरक्षा के लिए उपबन्ध :

(क) उत्पाद (द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस) और उसकी संभलाई के संबंध में सक्रियात्मक ज्ञान।

(ख) द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता और तैयारियाँ, इसका परिवहन तथा परिवहन के दौरान दुर्घटना अनुतोष।

(ग) उपस्कर/उत्पाद की सुरक्षित संभलाई के संबंध में कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण देने की योजनाएं।

(घ) कर्मचारियों के लिए भर्ती नीति और मानक।

(ङ) गैस नियंत्रण आदेशों, विस्फोटक नियमों और लागू होने वाले अन्य स्थानीय अधिनियमों के संबंध में जानकारी।

(च) उपभोक्ताओं की आपात शिकायतों को दूर करने के लिए इंतजाम के ब्यौरे।

6. अपनाए जाने वाले विपणन अनुशासन और प्रस्तावित मार्गदर्शक सिद्धांत :

(क) वितरकों और परिदान करने वाले व्यक्तियों के लिए आचार संहिता।

(ख) उत्पादों के संबंध में अपमिश्रण और अप्राधिकृत विचलन को मानिटर और नियंत्रण करने की प्रणाली।

7. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के समानान्तर विपणन के लिए विद्यमान/प्रस्तावित संगठन :

(क) संगठनात्मक ढाँचे के ब्यौरे।

(ख) संप्रवर्तक के प्रबन्धक के रूप में सम्मिलित होने का स्तर।

(ग) द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के समानान्तर विपणन, जिसमें अवसरचना सम्मिलित है, के वित्तपोषण का श्रोत।

(घ) ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे जो समानान्तर विपणनकर्ता देना चाहे।

8. वित्तीय प्रतिबद्धता :

(क) कुल अनुमानित परियोजना लागत।

(ख) योजनाबद्ध (फेज-वार) संसाधन जुटाना।

(ग) तारीख .... को की गई संसाधनों की व्यवस्था और विनिधान।

(घ) उपरोक्त क, ख और ग के सबूत।

यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग किया जाए।

हस्ताक्षर ....

मैसर्स ....

(समानान्तर विपणनकर्ता)

पता ....

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
दिनांक 3 फरवरी 2001★

क्र. एफ. 7-56-95-उन्तीस-1. - द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 13 के उपखण्ड (1) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को उसके (सारणी के) कॉलम (3) की तत्स्थानीय प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त खण्ड के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किये जाने हेतु प्राधिकृत करती है :

★ मध्यप्रदेश राजपत्र में भाग 1 में दिनांक 16 फरवरी 2001 को पृष्ठ 738 पर प्रकाशित

सारणी

क्र. (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)
1.	संचालक, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, मध्यप्रदेश	संपूर्ण राज्य
2.	संयुक्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, मध्यप्रदेश	संपूर्ण राज्य
3.	उप संचालक, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, मध्यप्रदेश	संपूर्ण राज्य
4.	सहायक संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, मध्यप्रदेश	संपूर्ण राज्य
5.	संचालनालय में पदस्थ सहायक खाद्य, अधिकारी	संपूर्ण राज्य
6.	संचालनालय में पदस्थ खाद्य निरीक्षक	संपूर्ण राज्य
7.	राजस्व संभागों के आयुक्त	उनके अपने-अपने संभाग की सीमाओं के भीतर
8.	कलेक्टर	उनके अपने-अपने जिलों की सीमाओं के भीतर
9.	अतिरिक्त कलेक्टर	उनके अपने-अपने जिलों की सीमाओं के भीतर
10.	अनुविभागीय अधिकारी	उनके अपने-अपने अनुविभाग की सीमाओं के भीतर
11.	खाद्य नियंत्रक, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	उनके अपने-अपने जिलों की सीमाओं के भीतर
12.	पुलिस उप निरीक्षक एवं ऊपर के सभी पुलिस अधिकारी	उनकी संबंधित अधिकारिता सीमाओं के भीतर
13.	खाद्य अधिकारी, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	उनके अपने-अपने जिलों की सीमाओं के भीतर
14.	सहायक खाद्य अधिकारी	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
15.	तहसीलदार	अपनी प्रभार की तहसील की सीमाओं के भीतर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल

अधिकारिता
(3)

संपूर्ण राज्य

संपूर्ण राज्य

संपूर्ण राज्य

ंपूर्ण राज्य

ंपूर्ण राज्य

ंपूर्ण राज्य

नके अपने-अपने संभाग की
ीमाओं के भीतर

नके अपने-अपने जिलों की
ीमाओं के भीतर

नके अपने-अपने जिलों की
ीमाओं के भीतर

नके अपने-अपने अनुविभाग
ा सीमाओं के भीतर

नके अपने-अपने जिलों की
माओं के भीतर

की संबंधित अधिकारिता
माओं के भीतर

के अपने-अपने जिलों की
माओं के भीतर

की अपनी-अपनी
धेकारिता की सीमाओं के
तर

नी प्रभार की तहसील की
ाओं के भीतर

नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल

अधिसूचना

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2001*

क्र. एफ. 7-56-95-उन्तीस-1. - इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 2001 के अनुक्रम में द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 13 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त खण्ड के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग किये जाने हेतु प्राधिकृत करती है।

अधिसूचना

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ-4-18/खाद्य/2005/29. - द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 13 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे वर्णित अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् -

1. खाद्य विभाग के समस्त अधिकारी जो खाद्य निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के न हों.
2. राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी जो नायब तहसीलदार की पंक्ति के नीचे के न हों.
3. सभी पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के न हों.

(छ.ग. राजपत्र असाधारण दिनांक 16 दिसम्बर 2005, पृष्ठ 624 (61) पर प्रकाशित।)

** Notification

No. F-7-164-2000-1-XXIX dated the 11th January, 2007.–In Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, the State Government hereby delegates the power of fixing additional charges for home delivery of LPG to District Collectors in their respective districts in view of the geographical terrain and or the distance in the area of distribution, if necessary.

•••

* मध्यप्रदेश राजपत्र में भाग 1 में दिनांक 7 सितम्बर 2001 को पृष्ठ 1785 पर प्रकाशित

** Published in M.P. Rajpatra Part I dated 2.2.2007 Page 412